न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : (156/14) 211/2019

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. सायरी देवी पत्नि स्व. पाबुराम		1. सीतादेवी पुत्री भुराराम पत्नि लाबुराम जाति–भाम्बी, निवासी–आनन्दपुर कालू, तहसील–जैतारण
2. मुन्नी देवी पुत्री स्व. पाबुराम पत्नि रमेश कुमार निवासी–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।		2. सब रजिस्ट्रार, जैतारण, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 05/08/2014**

उपस्थितः. 1. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री करनीदान चारण, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 05/11/2019**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 भूरा की पुत्री है वाद पत्र में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 व वादी पाबुराम एक ही पिता की सन्तान है अप्रार्थीगण संख्या 01 के पिता व प्रार्थी संख्या 02 के बड़े पिता है संयुक्त परिवार में शामिल रहते थे वक्त सेटलमेन्ट में समस्त जमीन अप्रार्थीगण संख्या 01 के पिता के नाम दर्ज की गई। लेकिन उक्त वर्णित जमीन में वादी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 व हाथीराम का मौके पर 1/3 हिस्से में लगातार काश्त करते आ रहे है व मौके पर 1/3 हिस्से की भूमि अलग–अलग कर हिस्सा कर रखा है। प्रार्थीगण भी अपने हिस्से पर काबिज है। जिसकी जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। सरहद मौजा राबड़ियावास में खसरा नंबर 468 में जमीन 06 बीघा 05 बिस्वा जमीन आई हुई है व सम्पूर्ण जमीन भुरा अप्रार्थी संख्या 01 के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 व हाथीराम संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 01 के पिता भूराराम परिवार का मुख्यकर्ता था अप्रार्थीगण संख्या 01के पिता ने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में बताई गई खसरा नंबर की सम्पूर्ण जमीन भुरा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई। शेष भाई बहिन छोटे थे। इस कारण से बड़े भाई भुरा के नाम दर्ज हुई थी। लेकिन जब वाद में प्राथीगण व अप्रार्थीगण संख्या 01 के पिता व हाथीराम अलग अलग हुए तब उक्त वर्णित जमीन पर मौके पर बंटवाड़ा कर 1/3 हिस्से पर अलग अलग काबिज हुए व अपने हिस्से मुजब काश्त करते आ रहे है, व प्राथीगण संख्या 01 के पिता भुरा का देहान्त दिनांक 05.11.2010 होने के बाद प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में बताई गई समस्त खसरा नम्बर की भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम फौतेदगी म्युटेशन के जरिये राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज हो गया। प्राथीगण के पिता पाबुराम द्वारा दावा बाबत घोषणा का वाद संख्या 40/2002 पेश किया हुआ है जिसमें सम्पूर्ण रूप से वादी व प्रतिवादीगण की ओर से गवाह हो चुके है अगर विवादित जमीन का बैचान एवं रहन हो जाती है तो प्राथीगण को काफी क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में आंकी नहीं जा सकती व सुविधा का सन्तुलन भी प्राथीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा एवं काश्त है। एवं प्रथमदृष्टतया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अगर उक्त प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में दर्शायी गई भूमि का रजिस्टर्ड बैचान, रहन, हस्तांतरण हो जाता है तो प्रार्थीगण अपने हक हकुको से वंचित रह जायेंगी एवं काफी विभिन्न प्रकार के मुकदमें करने पड़ेगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स एवं कब्जे को लेकर फौजदारी प्रकरण बढेंगे। इसलिये प्रार्थीगण के पास अन्य कोई

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगणके पेश है।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। वकुलाय ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्वयं अपने-अपने हिस्से खातेदार, काश्तकार हैं। मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। एक-दूसरे के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी नहीं करने एवं भूमि का किसी तरह से बेचान हस्तांतरण नहीं हेतु मूल वाद के निर्णय तक पाबंद किये जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्वयं अपने-अपने हिस्से के खातेदार, काश्तकार हैं। वकुलाय ने अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक-दूसरे के कब्जेकाश्त में परस्पर दखलंदाजी एवं उक्त आरजी का किसी तरह से बेचान हस्तांतरण नहीं करेंगे। अतः विवादित आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक एक-दूसरे के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी नहीं करने एवं प्रश्नगत आराजी का किसी भी माध्यम से कोई भी पक्षकारान् हस्तान्तरण नहीं करने बाबत उभय पक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला विरूद्ध उभयपक्षकारान् के इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा-राबड़ियावास, पटवार हल्का- राबड़ियावास तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 468 रकबा 06-05 बीघा, खसरा नंबर 699 रकबा 23-10 बीघा की आराजी के कब्जे काश्त में परस्पर दखलदांजी नही करे, न हि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कोई परिवर्तन करे, साथ ही ताफैसला प्रश्नगत आराजी का किसी भी माध्यम से कोई भी पक्षकारान् हस्तान्तरण न करें। पत्रावली किसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 05/11/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.27 16:26:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: